

राजस्थान सरकार  
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(3)(3)रोल/निर्वा/SSR-2018/2017/6240

जयपुर, दिनांक 03.11.2017

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी  
(कलक्टर) राजस्थान।

**विषय** : अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2018 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – अभियान की विशेष तिथि में संशोधन बाबत।

**प्रसंग** : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2017(VOL.II) दिनांक 3 नवम्बर, 2017 एवं विभाग का समसंख्यक पत्रांक 6065 दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

**महोदय,**

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक ई-मेल दिनांक 03.11.2017 का अवलोकन करे जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रति पुनः संलग्न की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भ तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान की तिथियों में संशोधन किया गया है।

2. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथि दिनांक 19 नवम्बर, 2017 (रविवार) के स्थान पर अब 5 नवम्बर, 2017 निर्धारित की है। 12 नवम्बर, 2017 की विशेष अभियान की निर्धारित तिथि यथावत रहेगी।

3. कृपया संशोधित कार्यक्रम के अनुसार राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथि दिनांक 5 नवम्बर, 2017 को समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र पर प्रारूप मतदाता सूची एवं समस्त आवेदन पत्रों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान करायें। इस विषय में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सूपरवाइजर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया जावे। इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारीगण 5 नवम्बर, 2017 को फिल्ड में भ्रमण कर बीएलओ द्वारा किये जा रहे कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करे।

4. इस विषय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की लिखित में सूचित किया जाये तथा आम नागरिकों की जानकारी हेतु प्रेस नोट एवं अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद पारीक)

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.3(3)(3)रोल/निर्वा/SSR-2018/2017/6240

जयपुर, दिनांक 03.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. अति० निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. सांख्यिकी शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर

By e-mail/Speed Post

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (VOL.II)

Dated: 3<sup>rd</sup> November, 2017

To

The Chief Electoral Officer,  
Rajasthan,  
Jaipur.

Subject:- Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2018 as qualifying date -  
Change of date of Special Campaign - Regarding.


Sir,

I am directed to refer to your letter No. Pa.3(3) Roll/Nirva/SSR-2018/2017/6176, dated 02<sup>nd</sup> November 2017, on the subject cited, and to state that the Commission, keeping in view the position stated therein, has approved your proposal of shifting one of the dates for Special Campaign in respect of ongoing SSR, 2018. Accordingly, the dates of special campaign in the State will be 05<sup>th</sup> November 2017 and 12<sup>th</sup> November 2017.

2. Wide publicity to the Schedule of SSR, 2018, revised to the above extent, shall be given to all through print, electronic and other available media.

3. All concerned shall be informed accordingly. Political Parties at State level and District level shall also be informed in writing by the CEO and DEOs respectively.

Yours faithfully,

  
(AJAY KUMAR)  
SECRETARY